


फर्द अहकाम

मंगलेश बनाम ०११५५१५

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड)

प्रकरण संख्या.....६२१/२०२१

५११

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	१६/०२/२६	<p>पुष्प ओपेला वाडी एवं परिवर्तित की कोर से ओई उपलब्ध नही पापालय समय के दौरान बाट-बाट आवाज लगावते के बाद भी वाडी की कोर से ओई उपलब्ध नही ताने के कारण वाडी का वाइफ अफस हाजरी एवं अफस पैरने से खपिज किया जाता है। पणवकी कमल शुभल द्वारा उर्क गन्ना से एक दो बाट शामिल उफर है।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड) </p>